



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-28062024-255014
CG-UP-E-28062024-255014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946

No. 2373]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2024

का.आ. 2502(अ).— नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 3 के उप पैरा (2) के साथ पठित (नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप धारा (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 दिसंबर, 2019 के का.आ. सं. 4609 (अ) के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः-

2. उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 7,8,9 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां विशेष रूप से प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः-

“7. श्री केएसएस कौशिक, भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ के प्रतिनिधि”

“8. श्री मिलिंद वी कंडलगांवकर, राष्ट्रीय भारतीय नाविक संघ के प्रतिनिधि”

“9. कैप्टन तुषार प्रधान, भारतीय समुद्री संघ के प्रतिनिधि”

[फा. सं. एसटी-15013/1/2006-एमटी(एमए)(Vol.II)]

राजेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं.का.आ.4609 (अ) दिनांक 19 दिसंबर, 2019 के तहत प्रकाशित की गई थी। अधिसूचना को सं. का.आ.3663 (अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 और का.आ. 417 (अ) दिनांक 28 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2024

S.O. 2502(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 5 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966) read with sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ports, Shipping & Waterways vide S.O.4609 (E) dated the 19th December, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification, for serial number 7, 8, 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall in particular be substituted, namely:-

“7. Shri KSS Kowshik, Representative of Indian National Shipowners' Association”

“8. Shri Milind V Kandalgaonkar, Representative of National Union of Seafarers of India”

“9. Capt. Tushar Pradhan, Representative Maritime Union of India”

[F. No. ST-15013/1/2006-MT(MA)Vol.II]

RAJESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.4609 (E) dated the 19th December, 2019. The notification was further amended vide number S.O. 3663 (E) dated 19th October, 2020 and S.O. 417(E) dated 28th January, 2022.